बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– BRRDA(HQ)MMGSY(NDB)-05/23   460   /पटना, दिनांक– 12/02/24

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा०प्र०से०
विशेष सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार (लेखा एवं हकदारी),
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय: मुख्यशीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–103–ग्राम विकास, समूह शीर्ष–राज्य योजना के अन्तर्गत उपशीर्ष–0519–मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना [NDB(BRICS) सम्पोषित], जिसका विपत्र कोड संख्या–37–4515–00–103–0519 (विषय शीर्ष–0519–53–01–मुख्य कार्य निर्माण) है, मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना [NDB(BRICS) सम्पोषित] के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए निम्नलिखित योजनाओं के निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

NDB वित्त सहायतार्थ BRRP-I के अधीन "मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना" Tranche-III अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कुल–16 (सोलह) पथों एवं इसमें से 11 (ग्यारह) पथों के आरेखण पर पड़ने वाले 12 (बारह) RCC High Level Bridge के निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य सहित निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ–11, 12 एवं 13 में अंकित राशि के लिए स्तम्भ–14 में अंकित कुल राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

तालिका 1

Sl. No.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Block	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
							[illegible]	[illegible]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Part-A [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
							Part-B Construction of RCC Bridge [illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
							Total		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Sl. No.	Survey ID	District	Block	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Name of the Road: From	Name of the Road: To	Length as per DPR	Construction Amount (in Lacs)	Maintenance Amount (in Lacs)	Contingency Amount (in Lacs)	Administrative Approval Amount (in Lacs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	[illegible]	Purnea	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Part-A [illegible] Tola	[illegible] Tola	1.270	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
							Part-B [illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
							Total		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	Purnea	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Part-A [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
							Part-B [illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
							Total		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	West Champaran	Bagaha-1	Bagaha-1	[illegible]	[illegible]	Part-A [illegible] Tola	[illegible]	4.004	462.750	[illegible]	[illegible]	[illegible]
							Part-B [illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
							Total		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	West Champaran	Bagaha-2	[illegible]	[illegible]	1100	Part-A [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
							Part-B [illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
							Part-C [illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
							Total		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	West Champaran	Bagaha-2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Part-A PP [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
							Part-B [illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
							Total		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	West Champaran	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Part-A [illegible] Road	[illegible] Tola	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
							Part-B [illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
							Total		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Sl. No.	Survey ID	District	Division	Block	Target habitation name	Target habitation population	Name of the Road: Start point	End point	Length as per DPR (in km)	Construction Amount (in Lacs)	Maintenance Amount (in Lacs)	Contingency Amount (in Lacs)	Administrative Approval Amount (in Lacs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**Part-A** TMC to Murli Road	Harbora River	2.140	187.387	21.032	4.822	199.930
							Part-B Construction of H.L. Bridge Span 4x22.79m at Ch. 2+000m in TMC to Murli Road to Harbora River with Approach Road [illegible]		80.300	1041.092	5.810	2.773	1054.426
							Total		2.730	1295.680	[illegible]	[illegible]	1291.148
33	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] Ward No.-17	[illegible]	4.800	444.250	40.180	[illegible]	[illegible]
34	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**Part-A** [illegible] road	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
							Part-B Construction of H.L. Bridge Span [illegible] with Approach road = 100m		77.24m	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
							Total		1.077	750.630	[illegible]	17.250	[illegible]
35	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**Part-A** MR Road [illegible]	[illegible]	2.670	224.650	23.450	[illegible]	267.670
							Part-B Construction of H.L. Bridge Span [illegible] Tola		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
							Total		2.731	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
36	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**Part-A** [illegible] road	[illegible]	1.460	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
							Part-B Construction of H.L. Bridge over [illegible] road with Approach road = 200m		50.64m	627.838	[illegible]	11.079	[illegible]
							Total		1.792	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
							Grand Total		49.585	12518.096	[illegible]	207.099	[illegible]

2. माननीय विभागीय मंत्री महोदय द्वारा दिनांक–**23.02.2024** को निम्न शर्तों के साथ इन योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है :–

i. ब्राडा के लिए निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जायेगी।

ii. कार्यपालक अभियंता (PIU) का दायित्व होगा कि कार्यों को विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे।

III. इन योजनाओं के पंचवर्षीय रख–रखाव की राशि गैर योजना मद शीर्ष–3054 से भारित किया जायेगा।

IV. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

V. पथों में प्रस्तावित उच्च स्तरीय पुलों के DPR की समीक्षा State Technical Agency (STA) से कराये जाने के उपरान्त ही सक्षम प्राधिकार द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान किया जाना है।

VI. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा तथा प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध किया जायेगा।

VII. कार्यों को ससमय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में सभी दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जायेंगे।

VIII. संबंधित कार्यपालक अभियंता योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

IX. इन योजनाओं को वित्तीय वर्ष 2024–2025 एवं 2025–26 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।

X. संबंधित कार्यपालक अभियंता योजनाओं के विस्तृत कार्य योजना तैयार करेंगे तथा उसके अनुरूप कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

XI. स्वीकृत योजनाओं की प्रविष्टि MIS के मानचित्र पर भी कराये जाने की जिम्मेवारी संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी।

XII. संबंधित कार्यपालक अभियंता सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत पथ एवं इसके आरेखण पर पड़ने वाले RCC High level Bridge किसी अन्य योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है एवं पूर्व में इन पथों की प्रशासनिक स्वीकृति नहीं दी गयी है।

XIII. **स्वीकृत योजनाओं की निविदा/पुनर्निविदा ई–निविदा के माध्यम से मुख्यालय द्वारा करायी जायेगी।**

XIV. स्वीकृत योजनाओं का क्रियान्वयन मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना की मार्गदर्शिका एवं NDB से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में किया जायेगा।

XV. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व डी०पी०आर० पर सक्षम पदाधिकारी से प्रासंगिक स्वीकृति प्राप्त के पूर्व एवं डी०पी०आर० के साथ Social and Envioronment से संबंधित प्रपत्र संलग्न कराने की जिम्मेवारी संबंधित अधीक्षण अभियंता की होगी।

XVI. योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

XVII. मुख्यशीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–103–ग्राम विकास, समूह शीर्ष–राज्य योजना के अन्तर्गत उपशीर्ष–0519–मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (NDB सम्पोषित), जिसका विपत्र कोड संख्या–37 4515 00 103 0519 है, मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (NDB सम्पोषित) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

(क) मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना [NDB(BRICS) सम्पोषित], के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर राशि की निकासी की जायेगी।

(ख) वित्त विभाग के संकल्प संख्या–98 वि(2), दिनांक–03.01.2008 तथा वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।

(ग) यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।

3. इन योजनाओं की स्वीकृति, सक्षम प्राधिकार माननीय विभागीय मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 23.02.2024 को संचिका संख्या–BRRDA(HQ) MMGSY(NDB)-05/23 के पृष्ठ–24/टि0 पर प्राप्त है।

4. यह आदेश वित्त विभाग की संकल्प संख्या–3758 दिनांक 31.05.2017 की कंडिका–4 में निहित प्रावधान के आलोक में एवं संचिका संख्या–BRRDA(HQ)MMGSY(NDB)-05/23 के पृष्ठ– 24 /टि0 पर दिनांक– 23/02/24 को माननीय विभागीय मंत्री महोदय के आदेशानुसार आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– BRRDA(HQ) MMGSY(NDB)-05/23 के पृष्ठ संख्या– 27 /टि0 पर दिनांक– 9/3/24 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक: BRRDA(HQ) MMGSY(NDB)-05/23 460 /पटना, दिनांक– 12/03/24

प्रतिलिपि–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उपविकास आयुक्त/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/अवर सचिव, बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा IT Nodal, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव